बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 83/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2010–11 एवं 11–12

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम और कार्यकाल –

1. निदेशक उद्योग विभाग, बिहार, पटना नाम एवं अवधि अप्राप्त।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा0 एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(1) श्री जवाहर पासवान दि0– 7.7.09 से 11.7.12 तक महाप्रबंधक

(2) श्री प्रमोद कुमार, रोकड़पाल दि0– 13.8.09 से 28.12.10 तक।

(3) श्री लक्ष्मण पंडित, रोकड़पाल दि0– 29.12.10 से 30.12.11 तक।

(4) श्री अवधेश प्रसाद, रोकड़पाल दि0 – 31.12.11 से 31.3.12 तक।

(5) श्री मो0 नदीम फारूकी, लेखापाल दि0– 1.4.10 से 31.3.12 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/
कर्म0 का नाम एवं पदनाम – (1) श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा, महाप्रबंधक
(2) श्री राजेन्द्र चौधरी, रोकड़पाल

(छ) अंकेक्षकों के नाम – (1) श्री शिव बचन पंडित , व0 अं0–1
(2) श्री संजय, वरीय अंकेक्षक–2
(3) श्री अवध किशोर सिंह, व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 3.7.14/16.12.14

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 31.1.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 30 कार्य दिवस औसतन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–
अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर सलंग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) **अंकेक्षण** का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि – विभागीय ज्ञापांक सं0 125 वि0 अं0 पटना दि0 20.10.14 स्व0 विभागीय ज्ञापांक 3256 वि0 दि0 15.9.60 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण कार्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का क्षेत्र :– जिला उद्योग केन्द्र, छपरा, सारण जिला के मुख्यालय में अवस्थित हैं। इस कार्यालय द्वारा मुख्य कार्य उद्योग से संबंधित लाभुकों को ऋण मुहैया कराना, प्रशिक्षण दिलवाना निबंधन कराना एवं ऋण वसूली करना हैं।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :– इस कार्यालय आय का मुख्य स्त्रोत सरकार से प्राप्त आवंटन हैं। आवंटन व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

(क) कार्यालय के अभिलेख से कोषागार कार्यालय छपरा से निकासी एवं जमा की गई राशि का सत्यापन कोषागार द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर द्वारा विवरण से शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति -- अभिलेख प्रस्तुत (अंकेक्षण / निरीक्षण प्रतिवेदन)

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :- अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्रस्तुत।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

(1) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई हैं :- नहीं।

(2) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया- नहीं।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – अनुदान प्राप्त नहीं था इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने का प्रश्न नहीं था।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :- भौतिक सत्यापन किया गया। विभागीय ज्ञापांक 503 वि0 अं0 पटना दि0 29.1.76 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारंभणा की तिथि दिनांक 3.7.14 को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्त का संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किया गया तथा उनके द्वारा रोकड़ पुस्त पर निम्नवत राशि प्रमाणित कर अंकित किया गया।

दिनांक 3.7.14 के संवरण शेष की स्थिति निम्नवत था :-

(क) भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता सं0 – 11206615331 – 115979.53

(ख) अभिश्रव के रूप में – 14656.60

(ग) विशेष अंगीभूत चालू खाता सं0

भारतीय स्टेट बैंक, छपरा – 34199 – 14932.14

(घ) विशेष अंगीभूत डी0 सी0 आर0 विपत्र (पारित) – 79.00

(ड़) दोहरी ताला में (विशेष अंगीभूत की राशि) – 19.88

कुल राशि – 145667.15

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

	31.3.11	31.3.12	अभ्युक्ति
(क) नकद राशि			रोकड़ पुस्त पर पूर्णा रूपेणा विवरण अंकित नहीं था। अतः दि0 31.3.11 एवं 31.3.12 का रोकड़ पुस्त का कुल संवरण शेष प्रतिवेदन में अंकित हैं कर दिया गया हैं।
(ख) बैंक खाता में सूद की राशि			
(ग) बैंक खाता में कुल राशि			
(घ) अग्रिम की राशि			
(ड़) अन्य बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स, चेक आदि			

	452041.13	90520.13	

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत बल/रिक्त पदों का विवरण :–

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम	अभ्युक्ति
1	महाप्रबंधक	1	1	–	
2	परियोजना प्रबंधक	3	1	2 (कम)	
3	आशुलिपिक	3	–	3 (कम)	
4	उच्च वर्गीय लिपिक	3	–	3 (कम)	
5	निम्न वर्गीय लिपिक	3	–	3 (कम)	
6	आदेशपाल	3	2	1 (कम)	
7	स्वीपर	1	1	–	
8	रात्री प्रहरी	1	–	1	
9	कनीय सांख्यिकी सहायक	1	1	–	
10	उद्योग	3	3	–	

	विस्तार पदाधिकारी				
	कुल –	22	9	13	

भाग– 2

(4) रू0 59583.00 वसूली योग्य :–

(क) रू0 21670.00 का वेतनादि के रूप में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

श्री लक्ष्मण पंडित व्यवस्थापक मिट्टी पात्र अनुशिक्षण वर्ग सोनपुर को विभागीय ज्ञापांक 777 दिनांक 9.3.11 कार्यालय आदेश संख्या 275 दिनांक 26.4.11 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति योजना का लाभ दिया गया था। जिसके फलस्वरूप दिनांक 15.11.2000 से फरवरी 2011 तक सम्बन्धित बकाया राशि के विवरणी के जाँच क्रम में पाया गया कि विवरणी क्रमांक 73 (माह नवम्बर 2006) से क्रमांक 77 (माह मार्च 2007) की अवधि में पूर्व में वास्तविक भुगतान की गई राशि से कम भुगतीत राशि दिखलाया गया। फलस्वरूप बकाया वेतनादि के रूप में रू0 21670.00 का अधिक निकासी कर कार्यालय विपत्र सं0 27/11–12 द्वारा दिनांक 15.9.11 को भुगतान किया गया था। श्री पंडित को कुल रू0 350896.00 का वेतनादि के रूप में भुगतान किया गया था। जबकि श्री पंडित को 350896(–) 21670.00 = 329226.00 का भुगतान होना चाहिए था। अधिक भुगतान की गयी राशियों की पूर्ण विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित हैं।

अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा । प्रशासी विभाग रू0 21670.00 का वसूल कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना का भी दी जाए।

(ख) रू0 15848.00 का मकान किराया भत्ता के रूप में अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

बकाया वेतनादि विवरणी वर्ष 10–11 एवं 11–12 के जाँच क्रम में पाया गया कि छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2007 से 31.12.2008 तक के भुगतान में मकान किराया भत्ता का भी बकाया के रूप में कुछ कर्मचारियों को कुल रू0 15848.00 का भुगतान कर दिया गया हैं। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न हैं। जबकि मकान किराया भत्ता का संशोधित दर दिनांक 01.01.2010 से लागू किया गया।

बिहार सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापांक 3'ए' –2 वे0 पु0 – 04/2009 –362 वि0 (2) पटना दिनांक 17.1.09 के आदेशानुसार वित्त विभाग के विशिष्ट आदेश निर्गत होने तक अन्य भत्ते में वर्त्तमान दर पर ही प्राप्त होगें। साथ ही साथ बिहार सरकार संकल्प सं0 3'ए'–2– वे0 पु0 (म0 कि0)– 23/2009– 12372 वि0 (2) पटना दि0 31.12.2009 के अनुसार मकान किराया भत्ता का संशोधित दर दिनांक 1.1.2010 से प्रभावी होगा। इस आदेश के विपरित मकान किराया भत्ता के रूप में अनियमित भुगतान कर दिया गया हैं। जो कि संबंधित कर्मचारी से वसूली योग्य हैं। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर संबंधित कर्मचारी से कुल रू0 15848.00 का वसूल कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी दिया जाए।

(ग) बकाया वेतनादि के रूप में रू0 21100.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

छठा वेतन पुनरीक्षित वेतनमान से संबंधित बकाया वेतनादि विवरणी दिनांक 1.4.07 से दि0 31.12.08 अवधि के जाँच संबंधित अभिलेखों के आधार पर किए जाने के क्रम में पाया गया कि श्री विश्वनाथ सिंह अनुसेवक को दि0 1.4.07 से 31.12.08 की अवधि में बकाया राशि कुल रू0 16711.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था, जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' के क्रमांक (1) पर अंकित हैं। लेकिन श्री सिंह को निम्न रूपेण पाँच किस्तों में भुगतान किया हुआ पाया गया।

वि0 सं0	बकाया की राशि का किस्त	भुगतान तिथि
65 / 10–11	4190.00	28.3.11 प्रथम किस्त
15 / 11–12	4190.00	28.6.11 द्वितीय किस्त
24 / 12–13	14740.00	22.3.13 तृतीय किस्त
6 / 13–14	14740.00	27.6.13 चतुर्थ किस्त
10 / 14–15	4190.00	21.6.14 पंचम किस्त
कुल –	42050.00	

इस प्रकार 42050–16711 =25339.00 का अधिक भुगतान होगा या 25339.00 की राशि में 4239.00 मकान किराया भत्ता की राशि भी शामिल है जिसका वर्णन प्रतिवेदन के कंडिका 4(ख) में उल्लेखित हैं।

इस प्रकार 25339–4239 =21100.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया । अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा। प्रशासी विभाग अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर रू0 21100.00 का वसूल कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया जाए।

(घ) रू0 670.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

कार्यालय के अभिश्रवों का जाँच आकस्मिकता पंजी, रोकड़ पुस्त एवं संबंधित अभिलेखों से किये जाने पर पाया गया कि अभिश्रवों की पारित राशि से 670.00 का अधिक राशि का भुगतान व्यय अंकित कर दिया गया है, जो कि अनियमित हैं। विवरणी निम्नवत् हैं।

वि0 सं0	उपभिश्रव सं0	पूर्ण विवरण	भुगतान की गई राशि	परित राशि	अधिक भुगतान	भुगतान तिथि
55/10–11	36/10–11	राज कुमार एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स, छपरा के सं0–613/23.7.10	280	230	50	12.1.11

71/10-11	13/10-11	मन्टु कुमार राम गाँधी चौक, छपरा के तेल सहित गाड़ी भाड़ा का भुगतान	1100	500	600	28.3.11
अंकित नहीं	8/11-12	नंदन कुमार न0-3 के सं0- 8111/17. 10.11 सरदार पटेल मार्ग नया सचिवालय पटना के टाइपिंट एवं सीडी बनबावबे पर व्यय	55	35	20	30.12.11
		योग -	1435	765	670	

पारित राशि से अधिक भुगतान व्यय अंकित करना अनियमित हैं। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रदन नहीं रहना।

उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 670.00 वसूल कर आय पक्ष में अंकित करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(ड़) रू0 43.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

आकस्मिकता कार्यालय व्यय पंजी में विपत्र सं0 45/11–12 द्वारा निकासी की गई विभिन्न अभिश्रवों का योग की जाँच क्रम में स्पष्ट हुआ कि वास्तविक योग 29950.00 होता है, लेकिन कार्यालय द्वारा गणाना की गलती के कारण योग रू0 29993.00 दिखाकर रू0 29993.00 का रोकड़ पुस्त में दिनांक 7.1.12 को भुगतान अंकित कर दिया गया। इस प्रकार 29993–29950 =43.00 का अधिक व्यय भुगतान हो गया।

अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर तथा प्राय पक्ष में अंकित कर उचित शीर्ष में जमाकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(च) रू0 95.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

आकस्मिकता अभिश्रव सं0 27/10–11 के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री रणाधीर कुमार, बिजली मिस्त्री को हरिहर क्षेत्र मेला 2010 में बिजली का देख रेख के लिए दिनांक 20.11.10 से 18.12.10 अवधि के लिए 30 दिनों का 95X30 दिन =2850.00 रू0 का भुगतान दिनांक 28.5.11 को किया गया था। लेकिन 20.11.10 से 18.12.10 तक गणना में 29 दिन होता हैं। इसलिए 29 दिन X95 =2755.00 होता हैं। तथा भुगतान भी संबंधित व्यक्ति को का ही होना चाहिए था। इस प्रकार (2850–2755) =95.00 का अधिक भुगतान हो गया।

रू0 95.00 का उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर आनुपालन एवं उचित शीर्ष में जमा करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(छ) रू0 30.00 का सर्विस पोस्टेज स्टाम्प का कमी पाया जाना वसूली योग्य :-

सर्विस पोस्टेज स्टाम्प भंडार पुस्त के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 9.1.12 को अवशेष 387.00 था। दिनांक 9.1.12 को रू0 25.00 का ब्यय किया गया। इस प्रकार 387–25 = 362.00 अवशेष होना चाहिए। लेकिन भंडार पुस्त पर रू0 332.00 अवशेष दिखलाया गया। इस प्रकार 362 (–) 332 = 30.00 रू0 की स्टाम्प की कमी पाई गई। जो कि उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य हैं।

रू0 30.00 का उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर सूचना से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(ज) यात्रा भत्ता के रूप में रू0 127.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

कार्यालय के यात्रा भत्ता विपत्रों के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री नदीम फारूकी, लिपिक को दै0 भत्ता के रूप में अधिक भुगतान कर दिया गया हैं। दै भत्ता में अनुमान्य दर से अधिक दर से भुगतान किया हुआ पाया गया साथ ही साथ 12 घंटे के लिए भी पूर्णा दर से दो भत्ता का भुगतान कार्यालय विपत्र सं0 54/10–11 के द्वारा रू0 600.00 का दिनांक 19.1.11 को किया हुआ पाया गया।

जबकि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 65(क) में उल्लेख किया गया है कि मुख्यालय के छः घंटे से अधिक किन्तु, 12 धंटे से अधिक की न हो, विहित दर से आधे के हिसाब से दैनिक का भुगतान किया जाएगा साथ ही साथ बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्राक 1524 वि0 (2) दिनांक 10.3.2000 के अनुसार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 69(1) के अनुसार वेतनानुसार विहित दर से किया जाएगा। लेकिन श्री

फारूकी लिपिक को उपर्युक्त नियम के विपरित भुगतान किया गया है विवरणी निम्नवत है :–

कर्मचारी नाम पदनाम/वेतन	मुख्यालय से यात्रा प्रारंभ तिथि/समय	मुख्यालय वापस तिथि/समय	भुगतान की गई राशि			भुगतान योग्य राशि			अधिक भुगतान
			दिनों की सं0	दर	राशि	दिनों की सं0	दर	राशि	
श्री नदीम फारूकी, लिपिक वेतन 7500	14.11.08 8 प्र0 त0	18.11.08 12 बजे दोपरहर	5	120	600	$4\frac{1}{2}$	105	473	127.00

इस प्रकार 600–473=127.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा। अतः श्री फारकी लिपिक से रू0 127.00 का वसूल कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग , बिहार, पटना को भी की जाए।

इस प्रकार उप कंडिका(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ड़)+(च)+(क)+(ज) की राशि क्रमशः 21670+15848.00+21,100+670+43+95+30+127=59583.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर (आय पक्ष में अंकित कर) तथा कोषागार में जमाकर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए।

(5) रू0 593056.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) सोनपुर मेला 2011 पर रू0 385187.00 का व्यय आपत्ति अंतर्गत :–

सोनपुर मेला 2011 से संबंधित अभिश्रवों की जाँच आकस्मिकता पंजी, रोकड़ पुस्त एवं संबंधित अभिलेखों के आधार पर जाँच क्रम में पाया गया कि उपाभिश्रव सं0 31/10–11 द्वारा मेसर्स ओम इंटर प्राइजेज सोनपुर को रू0 385187.00 का भुगतान दिनांक 18.5.11 को रोकड़ पुस्त में दिखलाया गया था। मेला में आपूर्त्ति किए गए विभिन्न सामानों का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ड़' पर संलग्न हैं।

मेसर्स ओम इन्टर प्राइजेज, सोनपुर द्वारा प्रस्तुत विपत्र के जाँच क्रम में निम्नांकित कागजात/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

(1) प्राप्तकर्त्ता का प्राप्ति रसीद नहीं पाया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आपूर्त्ति कर्त्ता को नगद या बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया हैं।

(2) विपत्र पर आपूर्त्तिकर्त्ता का सेवा कर/आय कर से संबंधित विभाग द्वारा आवंटित संख्या अंकित नहीं था। साथ–ही– साथ अलग से भी कोई कागजात सेवा टैक्स/आय कर से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सेवा टैक्स/आय कर का भुगतान कर दिया गया हैं।

(3) आपूर्त्ति किए गए सामानों का अनुमोदित दर से संबंधित कोई कागजात सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके चलते आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा दावा किए गए दर एवं भुगतीत राशि की जाँच पूर्णा नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त कागजात/अभिलेख के अभाव में व्यय की सत्यता की जाँच नहीं किया जा सका। प्रशासी विभाग अपने स्तर से वास्तविकता की स्वयं जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(ख) वाहन पर क्रीत इंधन पर व्यय रू0 13400.00 आपत्तिअंतर्गत :–

कार्यालय द्वारा उपयोग लाई गई विभिन्न वाहनों पर इंधन के क्रीत पर रू0 13400.00 का व्यय किया हुआ पाया गया। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'झ' पर संलग्न हैं।

विभिन्न वाहनों का कर्म पुस्तिका अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते क्रीत इंधन पर रू0 13400.00 का व्यय की जाँच नहीं किया जा सका।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से क्रीत इंधन पर व्यय की वास्तविकता की जाँच स्वयं करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(ग) रू0 157798.00 का अभिश्रव अप्रस्तुत व्यय आपत्ति अंतर्गत :–

रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि आकस्मिकता मद से विभिन्न प्रकार के व्यय किए गए थे। रोकड़ पुस्त में विभिन्न तिथि को व्यय दिखाए गए राशि से संबंधित अभिश्रव की माँग की गई। लेकिन कार्यालय द्वारा अभिश्रव एवं संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके चलते रू0 157798.00 की व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अप्रस्तुत अभिश्रव की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'च' पर संलग्न हैं। अप्रस्तुत अभिश्रव अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाए। साथ ही साथ प्रशासी विभाग व्यय की स्वयं

जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(घ) रू0 12785.00 का क्रीत सामानों का भंडार पुस्त में प्रविष्टि नहीं पाया गया :–

आकस्मिकता अभिश्रवों का जाँच आकस्मिकता पंजी, रोकड़ पुस्त एवं संबंधित अभिलेखों से वर्ष 10–11 एवं 11–12 के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न सामानों का क्रय किया गया था। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न हैं।

सामानों की प्रविष्टि भंडार पुस्त में है या नहीं भंडार पुस्त की माँग की गई लेकिन कार्यालय द्वारा भंडार पुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके चलते सामानों की भंडार प्रविष्टि की जाँच नहीं हो सका। साथ ही साथ सामानों का वितरण से भी संबंधित वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते वितरण की भी जाँच नहीं किया जा सका। सामानों के क्रीत पर रू0 13296.40 का व्यय किया हुआ पाया गया जिसमें 511.40 रू0 वैट टैक्स भी शामिल हैं। वैट टैक्स पर व्यय से संबंधित उल्लेख प्रतिवेदन के कंडिका –9 पर उल्लेख किया गया हैं। इस प्रकार 13296.40–511.40 = 12785.00 का व्यय सामान क्रीत पर हुआ।

भंडार पुस्त एवं वितरण पुस्त अप्रस्तुत रहने के कारण से 12785.00 का व्यय की सत्यता की जाँच नहीं किया जा सका।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से भंडार प्रविष्टि एंव वितरण की स्वयं जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(ड़) रू0 3770.00 क्रीत सामानों का भंडार प्रविष्टि नहीं पाया जाना :-

आकस्मिकता अभिश्रवों की जाँच आकस्मिकता पंजी रोकड़ पुस्त एवं संबंधित अभिलेखों से वर्ष 10-11 एवं 11-12 के जाँच क्रम में पाया गया कि रू0 3770.00 का व्यय सामानों पर किया गया जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ज' पर संलग्न हैं।

कार्यालय द्वारा भंडार पुस्त एवं वितरण पुस्त अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके चलते सामानों की भंडार प्रविष्टि तथा वितरण की जाँच नहीं किया जा सका। प्रशासी विभाग क्रीत सामानों का स्वयं जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(च) रू0 20116.00 का प्राप्ति रसीद अप्रस्तुत व्यय आपत्ति अंतर्गत :-

आकस्मिकता अभिश्रव के जाँच क्रम में पाया गया कि उप अभिश्रव सं0 25/10-11 द्वारा अंचलाधिकारी, सोनपुर को सभी आवंटन के एवज में रू0 20116.00 का भुगतान दिनांक 18.5.11 को रोकड़ पुस्त में दिखलाया गया था।

लेकिन अंचलाधिकारी सोनपुर द्वारा प्राप्ति रसीद या नाजीर रसीद जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके चलते रू0 20116.00 के व्यय की वास्तविकता की जाँच नहीं किया जा सका।

प्रशासी विभाग व्यय की स्वयं जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

इस प्रकार उप कंडिका क+ख+ग+घ+ड़+च की राशि क्रमशः 385187+13400+157798.00+12785+3770+20116= 593056.00 के व्यय को प्रशासी

विभाग अपने स्तर से जाँच करे तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए, तब तक 593056.00 के व्यय से आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता हैं।

(6) रू0 350000.00 का अग्रिम असमायोजित :–

सोनपुर मेला 2011 में उद्योग मंडप बनवाने हेतु ओम इन्टरप्राइजे सोनपुर चेक संख्या 376235 दिनांक 21.11.11 द्वारा रू0 350000.00 का अग्रिम के रूप में दिनांक 30.12.11 को भुगतान रोकड़ पुस्त में दिखलाया गया था।

अग्रिम के समायोजन के संबंध में अग्रिम पंजी एवं संबंधित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके चलते यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अग्रिम का समायोजन हुआ या नहीं।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से जाँच करे तथा अग्रिम की राशि रू0 350000.00 का समायोजन कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(7) रू0 14952.52 अव्यवहृत रूप में पड़ी राशि का जमा नहीं किया जाना कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

सामान्य रोकड़ पुस्त का दिनांक 3.7.14 को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्त का नकदी राशि का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के क्रम में स्पष्ट हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक, छपरा के खाता संख्या 34199 में निम्नांकित राशि जमा हैं :–

बैंक में जमा राशि – 14932.64

डबल लॉक में नगद– 19.88

कुल – 14952.52

31.3.12 के संवरण शेष की उक्त राशि संचित पाया गया।

विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से हरिजनों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास हेतु 1987–88 में एक योजना का प्रारंभ किया गया था। उसी योजना के अंतर्गत शेष बची हुई राशि रू0 14952.52 हैं। रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में सपष्ट हुआ कि दिनांक 18.7.92 के बाद से आय –व्यय नहीं हो रहा हैं। कार्यालय द्वारा बतलाया गया कि यह योजना उस समय से बंद हैं। लंबे समय से राशि अष्यवरूत रूप में पड़ी है इसे उचित शीर्ष में जमा कर देना चाहिए था। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा।

अतः प्रशासी विभाग अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर रू0 14952.52 उचित शीर्ष में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(8) रू0 15669.00 का कम प्रत्यार्पित किया जाना, समीक्षा का सुझाव :–

आवंटन व्यय विवरणी को जाँच संबंधित अभिलेखों के जाँच क्रम में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 10–11 एवं 11–12 में कुल 15669.00 कम प्रत्यार्पित किया गया हैं। विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट पर आवंटन व्यय विवरणी में अंकित हैं।

ससमय बचत राशि का प्रत्यार्पित कर देना चाहिए था। लेकिन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। जिसके चलते रू0 15669.00 का अपव्यय हो गया। फलतः विभाग में अन्य कार्यालय में उक्त राशि व्यय नहीं हो सका। यह वित्तीय अनियमितता हैं।

अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा। प्रशासी विभाग द्वारा इस संबंध में अपने स्तर से जाँच करें तथा कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(9) क्रीत सामानों पर आपूर्त्तिकर्त्ताओं से वैट राशि रू0 511.40 की कटौती नहीं संभावित राजस्व की क्षति :–

आकस्मिकता व्यय से संबंधित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि बहुत से सामानों पर आपूर्त्तिकर्त्ताओं से वैट की राशि की कटौती न कर वैट की राशि भी भुगतान कर दिया गया हैं। जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं। वैट टैक्स के रूप में नहीं काटी गई राशि रू0 511–40 का वास्तव में कार्यालय द्वारा कटौती कर वाणिज्य कर विभाग के शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न हो पाया गया। आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उक्त विक्री पर वैट की कटौती/विवरणी साक्ष्य के रूप में कार्यालय में समर्पित तथा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वित्त वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5199 पटना दि0 10.10.03 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी विभाग/उप क्रम द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं के आपूर्त्ति कर्त्ताओं के विपत्र के स्त्रोत पर विक्री कर की दर से कटौती करनी हैं।

बिहार वैट अधिनियम की धारा 40 एवं नियम 28,2005 में भी उल्लेख है कि आपूर्त्तिकर्त्ताओं से कर की कटौती करनी हैं।

प्रशासी विभाग उक्त वैट राशि रू0 511.40 की वास्तविकता की जाँच अपने स्तर से करें तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत

कराया जाए। तब तक रू0 511.40 के व्यय को संभावित राजस्व की क्षति अन्तर्गत रखा जाता हैं। विपरित स्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित होगी।

(10) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(1) रोकड़ पुस्त पर लिप्त लेखन नहीं किया जाए।

(2) कार्यालय के सामानों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार आवश्य किया जाए तथा प्रतिवेदन कार्यालय में आवंटन रखा जाए।

(3) रोकड़ पुस्त का नकदी राशि का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह के अंत में अवश्य किया जाए तथा भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाशा पत्र भी रोकड़ पुस्त पर अंकित जाए।

(4) रोकड़ पुस्त पर विपत्र वार पूर्णा विवरण अवश्य अंकित होना चाहिए।

(5) अग्रिम पंजी एवं अभिश्रव पंजी का संधारण किया जाए।

(6) उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में अवश्य रखा जाए।

(7) कार्यालय में उच्च पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन अवश्य रखा जाए।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) मो0 ओबैदुल्लाह जावेद व0 अं0–2

(2)

परिशिष्ट 'क' कंडिका –1'ट' से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पुस्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
2. मुख्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
3. सहायक रोकड़ पुस्त जिला उद्योग केन्द्र वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
4. सहायक रोकड़ उद्योग विस्तार पदाधिकारी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
5. सहायक रोकड़ मिट्टी पात्र अनुशिक्षणा वर्ग वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 सोनपुर
6. सहायक रोकड़ पुस्त विशेष अंगीभूत योजना वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
7. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
8. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
9. यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
10. आकस्मिकता पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
11. अभिश्रव की राशि संचिका वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
12. सेवा पुस्त (आंशिक) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
13. भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता संख्या 11206615331 की बैंक विवरणी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
14. आवंटन व्यय पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
15. आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
16. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
17. रेमिटेंस पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
18. चेक बुक पंजी (भा0 स्टेट बैंक खाता सं0 11206615331) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12
19. सर्विस पोस्टेज स्टाम्प भंडार पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12

अप्रस्तुत अभिलेख (10–11 एवं 11–12 का)

1. लौग बुक गाड़ी सं0 बी0 आर0 –04 जे0 3393, बी0 आर0 04–9348 एवं बी0 आर0 045–3484

2. भंडार पुस्त (लेखन सामग्री एवं स्थायी सामानों का तथा वर्दी का)

3. विशेष अंगीभूत चालू खाता सं0 – 34199 से संबंधित बैंक विवरणी / बैंक पास बुक

4. अग्रिम पंजी

5. मनी रसीद भंडार पंजी

6. मनी रसीद वही

7. ऋण वसूली रोकड़ पुस्त

8. औधोगिक गणना मद सहायक रोकड़ पुस्त

परिशिष्ट 'ख' कंडिका '1' से संबंधित

आवंटन व्यय विवरणी जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 शीर्ष 2851 जिला उद्योग केन्द्र

क्र0	इकाई का नाम	आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	कम प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	2400000.00	2256607.00	143393.00	143393.00	–	कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 26.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	20000.00	6300.00	13700.00	11230.00	2470.00	,,
3	कार्यालय व्यय	35000.00	9975.00	25025.00	20025.00	5000.00	,,
4	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	100000.00	17506.00	82494.00	82494.00	–	,,
5	दूरभाष	15000.00	2676.00	12324.00	12324.00	–	,,
6	विद्युत	12000.00	7570.00	4430.00	4430.00	–	,,
7	वर्दी	5000.00	–	5000.00	–	5000.00	,,
8	समग्री आपूर्त्तियाँ	525.00	–	525.00	525.00	–	,,
9	विज्ञापन एवं प्रकाशन	10000.00	–	10000.00	10000.00	–	,,
10	किराया एवं महसूल	48000.00	44000.00	4000.00	4000.00	–	,,

शीर्ष 2851 मिट्टी पात्र अनुशिक्षणा वर्ग, सोनपुर वर्ष 2010–11

1	वेतनादि	327200.00	312321.00	14879.00	14879.00	—	कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 26.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	5000.00	1000.00	4000.00	3200.00	800.00	''
3	कार्यालय व्यय	1000.00	—	1000.00	1000.00	—	''
4	किराया महसुल एवं कर	1200.00	1200.00	—	—	—	''

शीर्ष 2852 उद्योग विस्तार पदाधिकारी , वर्ष 2010–11

1	वेतनादि	922500.00	750004.00	172496.00	172496.00	—	कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 26.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	7700.00	शून्य	7700.00	6250.00	1450.00	''

परिशिष्ट 'ख'

आवंटन व्यय विवरणी शीर्ष 2851 जिला उद्योग केन्द्र वित्तीय वर्ष 2011–12

क्र0	इकाई का नाम	आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	कम प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	वेतनादि	3150000.00	2941106.00	208894.00	208894.00	"	कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 26.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	21000.00	15942.00	5058.00	5058.00	"	"
3	कार्यालय व्यय	40000.00	29993.00	10007.00	10007.00	"	"
4	वाहन का ईधन एवं रख रखाव	71500.00	28900.00	42600.00	42600.00	"	"
5	दूरभाष	12000.00	—	12000.00	12000.00	"	"
6	विद्युत	15000.00	—	15000.00	15000.00	"	"
7	वर्दी	3000.00	2885.00	115.00	115.00	"	"
8	विज्ञापन एवं प्रकाशन	10000.00	10000.00	—	—	"	"
9	किराया एवं महसूल	48000.00	—	480005.00	480005.00	"	"
10	प्रकाशन एवं मुद्रका	2600.00	2600	—	—	"	"
11	सेमीनार	4700.00	—	4700.00	4700.00	"	"
12	समग्री एवं आपूर्त्तियाँ	—	—	—		"	"

शीर्ष 2851 मिट्टी पात्र अनुशिक्षणा वर्ग, सोनपुर वर्ष 2011–12

1	वेतनादि	756000.00	743495.00	12505.00	11556.00	949.00	कार्यालय पत्रांक 121 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	5000.00	4990.00	10.00	10.00	–	''
3	कार्यालय व्यय	2000.00	–	2000.00	2000.00	–	''
4	किराया महसुल एवं कर	2000.00	–	2000.00	2000.00	–	''
5	वर्दी	1000.00	–	1000.00	1000.00	–	''
6	सामग्री एवं आपूर्त्तियों	1000.00	–	1000.00	1000.00	–	''

शीर्ष 2852 उद्योग विस्तार पदाधिकारी , वर्ष 2011–12

1	वेतनादि	745400.00	430382.00	315018.00	315018.00	–	कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 26.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
2	यात्रा भत्ता	6000.00	5710.00	290.00	290.00	–	''

सारांश

कम प्रत्यार्पित राशि – 2470.00
5000.00
5000.00
800.00
1450.00
949.00

कुल – 15669.00

परिशिष्ट 'ग' कंडिका –4 'क' से संबंधित

वेतनादि मद में अधिक भुगतान की गई राशि की विवरणी कुल रू0 21670.00

श्री लक्ष्मण संहिता, सेवा निवृत व्ययस्थापक

क्र0	विपत्र सं0	माह का नाम	निकासी की गई राशि (पूर्व में)					कम दर्शायी गई निकासी की गई राशि					अंतर राशि				
			वास्तविक भुगतीत राशि					दिखाई गयी भुगतीत राशि					वसूली योग्य				
			वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग	वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग	वेतन	महँगाई वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग
1	48/ 06–07	नवम्बर 2006	6300+ 207	3150	2740	472	12869	6300+ 207	–	1827	315	8699	–	3150	913	157	4220
2	52/ 06–07	दिसम्बर 2006	6300+ 207	3150	2740	472	12869	6300+ 207	–	1827	315	8699	–	3150	913	157	4220
3	63/ 06–07	जनवरी 2007	6300+ 207	3150	3308	472	13437	6300+ 207	–	2205	315	9027	–	3150	1103	157	4410
4	70/ 06–07	फरवरी 2007	6300+ 207	3150	3308	472	13437	6300+ 207	–	2205	315	9027	–	3150	1103	157	4410

5	06／ 07–08	मार्च 2007	6300+ 207	3150	3308	472	13437	6300+ 207	–	2205	315	9027	–	3150	1103	157	4410
योग			32535	15750	15404	2360	66049	32535	–	10269	1575	44379	–	15750	5735	705	21670

परिशिष्ट 'घ' कंडिका 4'ख' से संबंधित

बकाया वेतनादि में मकान किराया के रूप में अनियमित भुगतान की गई राशि रू0 15848.00 से संबंधित विवरणी :–

क्र0	कर्मचारी का नाम पदनाम	कुल भुगतान योग्य राशि					कुल पूर्व में भुगतान दिखाई गई राशि					कुल भुगतान की गई राशि					अभ्युक्ति
		वेतन	ग्रेड वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग	वेतन	ग्रेड वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग	वेतन	ग्रेड वेतन	महँगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग	
1	श्री विश्वनाथ सिंह अनुसेवक	135360	27300	18693	12195 12195	193548	70740	35370	48392	7956 7956	162458	64620	(–) 8070	(–)29699	4239 4239	31090	31090 (–)10140 20950 पूर्व में भुगतान (–) 4239– म0 कि0 भत्ता आवेदन 16711.00 भुगतान योग्य

2	श्रीमती बालकेशी देवी अनुसेविका	145470	33600	20532	13428 13428	213030	74960	37480	51364	8441 8441	172245	70510	(–) 3890	(–)30832	4987 4987	40785	40785 (–)10920– पूर्व में भुगतान 29865
3	श्री साहेनराम झाडुक झा	179670	37800	24981	16311 16311	258762	86700	43350	59602	9689 9689	199339	92970	(–) 5550	(–)34621	6622 6622	59423	59423 (–) 13200– पूर्व में भुगतान 46223.00
														कुल–	15848		

परिशिष्ट 'ड' कंडिका –5 'क' से संबंधित

सोनपुर मेला 2010 में व्यय की गई राशि रू0 385187.00 से संबंधित विवरणी :–

क्र0	पूर्ण विवरण	राशि	अभ्युक्ति
1	स्ट्रक्चर पंडाल वाटर प्रुफ– 53050 वर्ग फूट	34500.00	
2	प्रंट पेसीया प्लाई 35 फर में रू0 100 वर्ग फीट	34800.00	
3	साइड वन प्लाई 35 का वाहरी धेरा के साथ 5400 वर्ग फीट	106920.00	
4	लैट्रिन बाथरूप का दिवाल प्लाई 35 का – 3 पीस	8820.00	
5	कारपेट नया इक्लेटिक हरा पूरे में नीचे विछादुआ – 500 वर्ग फिटर	24000.00	
6	रेक काउन्टर पलाई 35 का – 8 पीस	18240.00	
7	सोफा टेबुल के साथ – 2 सेट	1800.00	
8	कुर्सी फाइवर का – 125 पीस	5700.00	
9	प्लाजमा टी0 बठी – 1 अदद	14040.00	
10	ट्रांस लाइट 2X6 – 12 पीस	8280.00	
11	जेनरेटर 10 के0 बी0 24 घंटा डीजल के साथ – 1	14040.00	

	अदद		
12	झुमट / टयूब / हैलोजेन इत्यादि अंकित नहीं	14400.00	
13	ट्रांसलाइट के लिए प्लाई –3 अदद का तीन चौकी	1800.00	
14	उदेन काउन्टर प्लाई का पंडाल मे मध्य दोनों तरफ से – 2 अदद	6720.00	
15	फोल्डींग खाट कभर के साथ बेंडसीट– 6 सेट	792.00	
16	कनात , दरी, कंबल, कालीन कमरा के लिए – 2 कमरा के लिए	36240.00	
17	नीचे का जमीन ईट –500 वर्ग फीट प्लाई 35 का	34500.00	
18	बिक्री परिसर प्लाई 35 का गोलाकार हैन्डी क्राफ्ट बिक्री काउन्टर का मंडप के बीच प्लाई का फॉल्स सिलिंग लगाकर	806.00	
19	टीन का धेरा सिर्फ पीछे की तरफ– 1000 वर्ग फीट	48000.00	
20	फाल्स सिलिंग कपड़े का – 500 वर्ग फीट	48000.00	
	कुल योग –	462398.00	

या पारित एवं भुगतान – 385187.00

परिशिष्ट 'क' कंडिका –'ग' से संबंधित

अप्रस्तुत अभिश्रव रोकड़ पुस्त के आधार पर कुल रू0 157798.00 की विवरणी :–

क्र0	विपत्र सं0	भुगतान तिथि	विवरण	राशि	अभ्युक्ति
1	65/09–10	9.4.10	महेन्द्र प्रसाद मकान मालिक का किराया	24000.00	
2	64/09–10	9.4.10	मोटर गाड़ी का भुगतान	2296.00	
3	75/09–10	17.4.10	भारत संचार निगम लिमिटेड, छपरा को भुगतान	1040.00	
4	67/09–10	17.4.10	"	30000.00	
5	वि0 सं0 अंकित नहीं	21.4.10	सोनपुर मेला 2009 में बिहार राज्य विधुत बोर्ड का भुगतान	18158.00	
6	"	21.4.10	सोनपुर मेला 2009 में प्रमाणाक सं0 21 से 24 तक का भुगतान	38254.00	
7	"	22.4.10	सोनपुर मेला 2009 में जमीन आवंटन के एवज में अंचलाधिकारी	21400.00	

			सोनपुर को भुगतान		
8	,,	20.5.10	सोनपुर मेला 2009 में फ्लैक्स छपाई के एवज में प्रमाणाक सं0 27 का भुगतान	14850.00	
9	64/09–10	15.7.11	मोटर गाड़ी का भुगतान	7800.00	
			योग :–	157798.00	

परिशिष्ट 'छ' कंडिका –9 से संबंधित

वैट टैक्स एवं भंडार पुस्त में सामानों की प्रविष्टि से संबंधित विवरणी :–

क्र0	विपत्र सं0	उपाभिश्रव सं0	समान का नाम	अदद	दर	भुगतान की गई राशि			भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
						सामान का किमत	वैट टैक्स की राशि	कुल राशि		
1	55/10–11	20/10–11	रजिस्टर 4 जिस्ता	5	@ 115	230	11.40	296.40	12.1.11	अर्पणा एजुकेशन स्टोर छपरा के सं0–156/7.7.10
2	55/10–11	20/10–11	रजिस्टर 2 जिस्ता	1	@ 55	55				प्रजापति प्रिंटिग प्रेस छपरा के सं0 333/1.

										12.11
3	41/11–12	1/11–12	ई0 एम0 पार्ट किताब 8 पेज	500/–	@ 5	2500	100	2600	30.12.11	तदैव सं0– 335/3. 12.11
4	42/11–12	1/11–12	”	2000/–	@ 5	10000	400	10400		
						12785	511.40	13296.40		

परिशिष्ट 'ज' कंडिका 5'ड़' से संबंधित

क्रीत सामानों का भंडार प्रविष्टि से संबंधित रू0 3770.00 की विवरणी :–

वि0 सं0	उप अभिश्रव सं0	क्रित सामान का नाम	अदद	दर	राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
44/11–12	1/11–12	सुटिंग साड़ी पॉपलीन ब्लाउज	9 मीटर 1 मीटर 4 मीटर 2 मीटर	@ 180 255 @ 35 @ 35	1620 255 140 70	30.12.11 30.12.11 30.12.11 30.12.11	गुप्ता क्लौथ हाउस छपरा के सं0 53/24.3.11 " " "
44/11–12	2/11–12	चप्पल	1	@ 200	200	30.12.11	लिबर्टी छपरा सं0 7525/तिथि स्पष्ट नहीं
44/11–12	3/11–12	चप्पल साइज –5	1	@ 235	235	30.12.11	खादीजय छपरा के सं0 043/16.3.10
44/11–12	4/11–12	चप्पल साइज –5	1	@ 235	235	30.12.11	तदैव 682/19.3.10
44/11–12	5/11–12	चप्पल साइज– 7	1	@ 200	200	30.12.11	तदैव 656/17.3.10

45/11–12	72/11–12	चप्पल	1	@ 365	365	7.1.12	तदैव 800/27.3.10
45/11–12	73/11–12	कपड़ा	15 मीटर	@ 18	270	7.1.12	साड़ी सेन्टर छपरा सं0 73, 35 26.3.10
45/11–12	73/11–12	कपड़ा	10 मीटर	@ 18	180	7.1.12	तदैव
				कुल –	3770.00		

)

परिशिष्ट 'झ' कंडिका –5 'ख' से संबंधित

गाड़ी के इंधन क्रीत पर व्यय से संबंधित विवरणी :–

क्र0	विपत्र सं0	उपाभिश्रव सं0	इंधन का नाम	मात्रा	दर	राशि	भुगतान तिथि	गाड़ी सं0	अभ्युक्ति
1	43/11–12	1/11–12	डीजल	11.50 ली0	43.49	500	30.12.11	बी0 आर0 4 डो 3393	केदार महाराज छपरा, के सं0 10196/4.12.11
2	43/11–12	2/11–12	डीजल	11.50 ली0	43.49	500	30.12.11	"	फ्यूल पोइट फ्यूल छपरा के सं0 5514/6.12.11
3	43/11–12	3/11–12	डीजल	16.12 ली0	43.43	700	30.12.11	"	माधुरी सर्विस स्टेशन बदलपुरा सारण सं0 8800/5.12.12
4	43/11–12	4/11–12	डीजल	22.95 ली0	43.49	1000	30.12.11	"	फ्यूल पोंइट फ्यूल छपरा के सं0 14395/2.12.12
5	43/11–12	5/11–12	डीजल	9.21 ली0	43.43	400	30.12.11	"	माधुरी सर्विस स्टेशन बदलपुरा छपरा के सं0 4621/19.11.11
6	43/11–12	6/11–12	डीजल	11.50 ली0	43.43	500	30.12.11	"	पेट्रोलियम छपरा

										34841 / 19.11.11
7	43 / 11–12	7 / 11–12	डीजल	11.51 ली0	43.43	500	30.12.11	"		माधुरी सर्विस स्टेशन बदलपुरा छपरा के सं0 4005 / 12.11.11
8	43 / 11–12	8 / 11–12	डीजल	22.9 ली0	43.49	1000	30.12.11	"		फ्यूल पोंइट फ्यूल छपरा 5851 / 17.11.11
9	43 / 11–12	9 / 11–12	डीजल	13.82 ली0	43.43	600	30.12.11	"		माधुरी सर्विस स्टेशन बदलपुर छपरा के सं0 3353 / 16.4.11
10	43 / 11–12	10 / 11–12	डीजल	22.99 ली0	43.49	1000	30.12.11	"		फ्यूल पौंइट फ्यूलस छपरा 5673 / 15.11.11
11	43 / 11–12	11 / 11–12	डीजल	22.99 ली0	43.49	1000	30.12.11	"		तदैव 3953 / 14.11.11
12	43 / 11–12	12 / 11–12	डीजल	13.82 ली0	43.43	600	30.12.11	"		माधुरी सर्विस स्टेशन छपरा 3070 / 13.11.17
13	43 / 11–12	13 / 11–12	डीजल	12.66 ली0	43.43	550	30.12.11	"		तदैव 2339 / 12.11.11
14	43 / 11–12	14 / 11–12	डीजल	9.24 ली0	43.31	400	30.12.11	"		शिवम् फ्यूल पटना 46948 / 12.11.11

15	43/11–12	15/11–12	डीजल	15 ली0	43.44	652	30.12.11	"	चिल्डेन ऑटो सर्विस चिरूंद छपरा 23 सी0 10.11.11
16	43/11–12	16/11–12	डीजल	9.21 ली0	43.43	400	30.12.11	"	माधुरी सर्विस स्टेशन बदलपुर
17	43/11–12	17/11–12	डीजल	11.54 ली0	43.31	500	30.12.11	"	छपरा 2024/9.11.11 बेली रोड सुपर सर्विस स्टेशन पटना– 454065/9.11.11
18	43/11–12	43/11–12	डीजल	20 ली0	39.92	798	30.12.11	बी0 आर0 045 – 3484	देवेन्द्र मेमोरियल पेट्रोलियम पूर्वी रौजा सारण
19	43/11–12	44/11–12	डीजल	16.05 ली0	43.49	700	30.12.11	बी0 आर0 045– 3484	11293/23.4.11 तदैव 8023/14.7.11
20	43/11–12	45/11–12	डीजल	17.53 ली0	39.92	700	30.12.11	"	तदैव 2412/30.12.10
21	43/11–12	46/11–12	डीजल	10.02 ली0	39.92	400	30.12.11	बी0 आर0 004–9348	फ्यूल पौहट फ्यूल सं0 छपरा 8252 तिथि स्पष्ट नहीं
					कुल योग	13400.00			